न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....मु.नं0 .....वर्ष.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7-4-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना वकील अपीलांट ने सुना गया। प्रार्थना प्रकरण के निचले न्यायालय व अपीलांट को सुने बिना स्थगनादेश के दिनांक 24-2-21 को अंतरिम स्थगन पारित कर दिया है। निचले न्यायालय द्वारा अंतरिम 39 R 3 व 4 CPC की पालना की जा रही है। अतः प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर स्थगन इस निचले न्यायालय SDO अनुपाबाई द्वारा प्रकरण नं. 49/2021 के पारित अंतरिम स्थगन दि. 24-2-21 की पालना अपीलांट के लिये एक स्थगित की जाती है। प्रकरण में निचले न्यायालय को लिखा जावे है कि उनके समक्ष लंबित अंतरिम स्थगन प्रकरण नं. 49/2021 का अंतिम निस्तारण 039 R 3 व 4 CPC की पालना के अनुसार एक माह में करवा प्रतिवेदन व नस्ती की प्रति SDO अनुपाबाई को लिखकर अवलोकन प्रतिवेदन व नस्ती प्राप्त होने पश्चात पत्रावली के साथ प्रस्तुत होवे। उक्त के बाद तथ्यों व वकील शामिल रहे। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प सुजानगढ़)	